

## न्यायमूर्तशील नागू: पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तशील नागू को [पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश](#) नियुक्त किया गया है।

### मुख्य बटु

उन्हें वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। [मामलों के नसुतारण](#) के माध्यम से न्यायपालिका में उनका योगदान, **12 वर्षों से अधिक** के अपने कार्यकाल के दौरान **499 से अधिक रिपोर्ट कथि गए नरिणय हैं**।

### उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नयुक्तु

- **संवधान का अनुच्छेद 217:** इसमें कहा गया है ककिसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयुक्तु राष्ट्रपतु द्वारा [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#), [राज्य के राज्यपाल](#) के परामरु से की जाएगी।
  - मुख्य न्यायाधीश के अलावा कसुी अन्य न्यायाधीश की नयुक्तु के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामरु कथि जाता है।
- **परामरु प्रकुरथि:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफिरश एक [कॉलेजथिमु](#) द्वारा की जाती है जसुमें **CJI** और दो वरषुठततु न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  - यह प्रसुताव दो वरषुठततु सहयोगथिों के परामरु से संबधतु **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** द्वारा कथि जाता है।
  - सफिरशु मुखुयमंतुरी को भेजी जाती है, जो **केंदुरीय कानून मंतुरी को प्रसुताव राज्यपाल** को भेजने की सलाह देता है।
  - **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** की नयुक्तु इस नीतु के आधार पर की जाती है ककुराजु का मुख्य न्यायाधीश संबधतु राज्य से बाहर का होगा।
    - पदोनुनतुपर नरिणय कॉलेजथिमु द्वारा लथि जाता है।